*[ प्राधिकृत अनुवाद]*

# हरियाणा विधान सभा

**2023 का विधेयक संख्या–4 एच०एल०ए०**

## हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023

## हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975

## को आगे संशोधित करने के लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

**1.** यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

**2.** हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ढ2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(ढ2) "अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र (टी०डी०आर० प्रमाणपत्र)" से अभिप्राय है, किसी स्वामी, जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाणपत्र तथा ऐसे विकास अधिकार स्वामी द्वारा विक्रय या व्यापार या नीलाम किए जा सकते हैं;'।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 8क का संशोधन।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 8क में,–

(i) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) निदेशक, इलेक्ट्रानिक रूप तथा इंटरनेट के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन सभी कृत्यों का निर्वहन कर सकता है या अपने निमित्त ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति या अभिकरण को नियोजित कर सकता है।";

(ii) उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(गग) टी०डी०आर० प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में संवीक्षा, जांच, प्रक्रिया या पत्राचार करना तथा इससे जुड़े सभी अन्य

कृत्यों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहित भागतः या पूर्णतः टी०डी०आर० प्रमाणपत्र जारी करना, बनाए रखना, विक्रय, व्यापार या नीलाम करना तथा इसका उपयोग करना;";

(iii) उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"(3) यदि निदेशक उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या अभिकरण को नियोजित करता है, तो ऐसी दरों पर, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे आनलाईन कृत्य के लिए उपयोगकर्ता से फीस वसूलीयोग्य होगी। ऐसी फीस नियोजित किए गए व्यक्ति या अभिकरण द्वारा बाँटी जा सकती है। इस उप--धारा के अधीन संगृहीत फीस सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित व्ययों हेतु निदेशक द्वारा सूचित, प्रबन्धित तथा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी निधि में अनुरक्षित की जाएगी।"।

# उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अन्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रबंधन प्रणाली के ऑनलाइन संचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु 1975 के अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन सुविचारित हैं।

धारा 2 के खण्ड (ढ2) में टीडीआर की परिभाषा को संशोधित कर एक सक्षम प्रावधान समाविष्ट करना प्रस्तावित है ताकि विक्रय, व्यापार, नीलामी तंत्र के माध्यम से टीडीआर प्रमाण–पत्र का हस्तांतरण / विक्रय संभव हो सके तथा क्रेता की भौगोलिक स्थिति पर अनजाने में लगाए गए प्रतिबंध को सुधारा जा सके।

इसके अलावा, विभाग के ऑनलाइन कार्यों के वितरण को सक्षम करने के लिए 1975 के अधिनियम की धारा 8ए की मौजूदा उप–धारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि निदेशक द्वारा पेशेवरों या एजेंसी की नियुक्ति की जा सके। टीडीआर आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण, इसके ऑनलाइन जारी करने, डीमैट रूप में होल्डिंग, इसकी ऑनलाइन बिक्री, व्यापार, नीलामी और इसके उपयोग (आंशिक या पूर्ण रूप से) को सक्षम करने और अन्य सभी संबंधित कार्यों को ऑनलाइन मोड में करने के लिए सक्षम प्रावधान भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

अंत में, अधिनियम की धारा 8ए में उपधारा (3) के रूप में समर्थकारी प्रावधान डालने का प्रस्ताव है ताकि ऑनलाइन सेवा के उपयोगकर्ताओं से शुल्क की वसूली की जा सके जिसे निदेशक द्वारा निर्मित, प्रबंधित और संचालित 'सूचना प्रौद्योगिकी कोष' में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के लिए बनाए रखा जाएगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 15 मार्च, 2023

आर०के०नांदल,
सचिव।

**अवधेयः** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 15 मार्च, 2023 के हरियाणा गर्वनमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

## अनुबन्ध

## हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 से उद्धरण

**धारा 2:** "(ढ2) 'अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (टीडीआर प्रमाण–पत्र)' से अभिप्राय है, किसी स्वामी जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए किसी विकास अधिकारों का प्रमाण–पत्र तथा ऐसा प्रमाण–पत्र स्वामी द्वारा किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर विक्रय किया जा सकता है ;";

**धारा 8क:** "8क. ऑनलाइन प्राप्ति तथा अनुमोदन.– (1) इस अधिनियम के अधीन पूरे किए गए सभी कृत्य इलैक्ट्रोनिक फोरम तथा इंटरनेट के माध्यम से भी पूरे किए जा सकते हैं।

(2) उप–धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृत्यों में निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं को शामिल किया जा सकता है:–

(क) आवेदनों तथा भुगतानों की प्राप्ति अथवा पावती ;

(ख) अनुमोदन, आदेश अथवा निर्देश जारी करना ;

(ग) अनुज्ञप्ति प्रदान करने, इसका नवीकरण, अन्तरण अथवा अधिभोग प्रमाण–पत्र, उसका भाग या समापन प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रदान करने हेतु संवीक्षा, जांच अथवा पत्राचार ;

(घ) नक्शों, अनुमानों, अधिभोग प्रमाण–पत्रों इत्यादि का अनुमोदन ;

(ड़) दस्तावेज दायर करना ;

(च) वसूलियों के लिए नोटिस जारी करना ;

(छ) रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण ;

(ज) कोई अन्य कृत्य जो निदेशक लोक हित में उचित समझे। "।

10269—H.V.S.—H.G.P., Pkl.